<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः–ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 26/2025 **दायर दिनांकः 01.04.2025**

उनवान

1. अब्दुल रजाक अहमद आयु 60 वर्ष पुत्र गेन्दे खॉ जाति मुसलमान निवासी काचरा हाल मु० रंगतालाब कोटा जिला कोटा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थित :–
प्रार्थिया :–विद्वान अभिभाषक श्री अमीनुद्दीन
अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> **दिनाकः 26.05.2025**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम एवं माल काचरा तहसील अटरू में खाता से 195 के खसरा नं0 639 का रकबा 0.65 हे0 कुल किता 1 का रकबा 0.65 हे0 शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से अब्दुल रजाक अहमद पुत्र गेन्दे खॉ के स्थान पर रजाक पुत्र गेन्दया अंकित हो गया है जो कि गलत है प्रार्थी का सही नाम अब्दुल रजाक अहमद पुत्र गेन्दे खॉ है जो कि उसके आधार कार्ड पहचान पत्र राशन कार्ड पैन कार्ड आदि दस्तावेजों में भी अब्दुल रजाक अहमद पुत्र गेन्दे खॉ नाम ही दर्ज है तथा ग्राम पंचायत मेरमाचाह द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी अब्दुल रजाक अहमद पुत्र गेन्दे खॉ नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी राजस्व कर्मचारिगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त करवा कर अपना नाम रजाक पुत्र गेन्दया के स्थान पर अब्दुल रजाक अहमद पुत्र गेन्दे खॉ दर्ज करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारिगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पुर्वक कार्य से प्रार्थी का नाम रजाक पुत्र गेन्दया कर देने

से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जमाबन्दी एंव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नही करपा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थाना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। आराजी ग्राम/माल काचरा पटवार हल्का मेरमाचाह तह० अटरू जिला बांरा (राज) में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किया जाता है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एंव माल काचरा तहसील अटरू में खाता से 195 के खसरा नं0 639 का रकबा 0.65 हे0 कुल किता 1 का रकबा 0.65 हे0 शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। आराजी में प्रार्थी का नाम अब्दुल रजाक अहमद पुत्र गेन्दे खों दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र कमांक/राजस्व/2025/1537 दिनांक 12.05.2025 से रिपोर्ट पेश की गईं तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल काचरा सम्वत 2074–77 खाता संख्या 195, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पासबुक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पेन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र गेन्दे खां व रिपोर्ट तहसीलदार अटरू का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल काचरा पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू में खाता संख्या 195 का खसरा नं. 639 का रकबा 0.65 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.65 है0 आराजी में सहखातेदार रजाक पुत्र गेन्दया के स्थान पर अब्दुल रजाक अहमद पुत्र गेन्दे खॉ किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल काचरा पटवार हल्का मेरमाचाह तहसील अटरू में खाता संख्या 195 का खसरा नं. 639 का रकबा 0.65 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.65 है0 आराजी में सहखातेदार रजाक पुत्र गेन्दया के स्थान पर अब्दुल रजाक अहमद पुत्र गेन्दे खॉ दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां